निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस॰ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 74/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामजीलाल पुत्र छाजूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम टिगरिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री शिव चरण शर्मा आर॰ए॰एस॰ उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ।
2. राजाराम पुत्र श्री आनन्दीलाल
3. श्रीमती तीजा देवी पत्नी श्री आनन्दी लाल
4. श्रीमती गड्डूल पत्नी श्री मदन लाल
5. मदन पुत्र श्री आनन्दी लाल
6. अनोख पुत्री श्री आनन्दीलाल
7. काली पुत्री श्री आनन्दीलाल

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम टिगरिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सीपीसी व धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 274/2019 ब उनवानी रामफूल व अन्य बनाम भगवान व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री राकेश कुमार अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 24.03.2025.

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 274/2019 ब उनवानी रामफूल व अन्य बनाम भगवान व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जा चुकी है जिस पर प्रार्थी ने आपत्ति

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जिसे खारिज कर निर्णय करने पर आमादा है। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी दे रहें है तथा प्रकरण का निर्णय करने पर आमादा है एवं प्रार्थी को न्यायालय में उपस्थित होने पर राजीनामें का दबाव बनाते है तथा कहते है कि राजीनामा कर लो वरना तुम्हारे खिलाफ फैसला कर दूंगा । जिससे प्रार्थी को यह पूर्ण अन्देशा हो गया है कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण से मिला हुआ है तथा उनके पक्ष में प्रकरण का फैसला करने पर आमादा है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी येनकेन प्रकारेण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है। इस कारण प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **24.03.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner